



भारत सरकार
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

142 सी, सेक्टर 11, हिरणमगरी उदयपुर, 313002

फोन : 0294-2583139, 2583215, ईमेल ro.udaipur@ibm.gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

142-C Sector-11, Hiran Magri, Udaipur(Raj) 313002

Phone : 0294-2583139, 2583215, email ro.udaipur@ibm.gov.in

38RAJ09009

खान मिसिल सं. RAJ/Chitt/Lst- 11

सेवा में

पंजीकृत पावती

उल्लंघन पत्र

दिनांक:

26 MAY 2016

M/s Wonder Cement Ltd.,
R.K. Nagar
Post Nimbahera,
Distt. Chittorgarh
PIN 312601

विषय: राजस्थान राज्य के जिला चित्तोडगढ़ निकट ग्राम भट्टकोटडी आदि स्थित, आपकी भट्टकोटडी चूनापत्थर खान में (एमएल एरिया 740.93 है.), खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन.

महोदय

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23.05.2016 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण करने के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों के उल्लंघन पाये गये:

नियम सं	पाये गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
13(1)	The mining operation is being carried out in contravention of the following provision of the approved Scheme of Mining , approved vide letter No. 682(23)X 755/10-MCCM(N)/Uday Dated 08.07.2013; (i) The progressive mining closure plan (PMCP) was not implemented as per proposal at chapter 7 of PMCP by not constructing the parapet wall of 1000 m length during the year 2015-16. (ii) Two separate waste dumps were found near pillar H and A (Western side of each pillar) which is not as per proposal in the approved scheme of mining, whereas excavation of limestone is proposed in this areas of the approved scheme of mining during the scheme period upto year V refer plate no 5(e).
27(4)	All the Plans and sections are not maintained up to date as per rules.
30	The plan and sections were not having certificate of correctness from the mining engineer and the geologist as per the rule.

इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की इन नियमों/प्रावधानों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त नियम 13(1) की अनुपालना न होने पर नियम 13(2) के तहत खानन कार्य स्थगित करने की अनुशंसा क्षेत्रीय खान नियंत्रक से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय,

(पुण्येन्द्र गौड़)

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2 निदेशक खान एवं भू विज्ञान निदेशालय, उदयपुर (राजस्थान)
- 3 रक्षित पत्रावली।

4 का. प्र.

26/05/16
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो